कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.सहा.एवं ना.सु.) जालोर

क्रमांकः/एफ 10( )सहा./स.शि.रेस्टोरेशन/2025/3710 दिनांकः–06.10.2025

–:: प्रशासनिक स्वीकृति आदेश ::–

मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (भवनों) की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत/पुनरुत्थान हेतु **कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जालोर** के प्रस्ताव पत्रांक 439 दिनांक 19.08.2025 द्वारा ब्लॉक जालोर/सायला/जसवंतपुरा की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों (विद्यालय भवनों) के तात्कालिक मरम्मत के प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.08.2025 में प्रस्तावों के अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 3254 दिनांक 28.08.2025 से आ.प्र.सहा.एवं ना.सु.वि. जयपुर को भेजे गए प्रस्तावों के संदर्भ में विभागीय पत्रांकः एफ 8(26)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2025/राजकाज 17843308 दिनांक 18.09.2025 से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 62/2025–26 की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से निम्नलिखित क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के तात्कालिक मरम्मत कार्यो की उनके आगे अंकित राशि अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। **इन स्वीकृत कार्यो के लिए कार्यकारी ऐजेन्सी एडीपीसी समसा जालोर रहेगी :–**

क्र.सं.	समग्र शिक्षा ब्लॉक	तहसील क्षैत्र	कुल क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की संख्या	तात्कालिक मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	जालोर	जालोर	92	184.00
2.	सायला	जालोर	51	102.00
3.	सायला	सायला	173	346.00
4.	जसवंतपुरा	जसवंतपुरा	113	226.00
योग			**429**	**858.00**
कुल राशि अक्षरे आठ करोड अठावन लाख रुपये मात्र				

उक्त व्यय बजट मद 2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02–बाढ चक्रवात आदि 107–खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनर्स्थापना (02)–(बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत) (01)–बाढ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत, 21– अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध के अन्तर्गत वहन किया जावेगा।

प्रशासनिक स्वीकृति की प्रमुख शर्ते :–

1- स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश, ततसम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे तथा एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ. के तहत भारत सरकार से जारी नॉर्म्स दिनांक 10.10.2022 तथा आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना की जावेगी।

2- वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।

3- विभाग द्वारा राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है अतः संबंधित विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग भवनों के रेस्टोरेशन पर न करें।

4- प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।

5- बजट संबंधित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

6- राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त भवनों के Restoration हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 द्वारा गणना की जाये।

7- कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।

8- उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिये ही किया जावे।

9- विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि का उपयोग जिन भवनों का उपयोग किया जा रहा है, उन भवनों की मरम्मत हेतु ही किया जावे।

10- इस स्वीकृति के आधार पर कार्यकारी ऐजेन्सी तकनीकी स्वीकृति जारी कर 03 दिवस में इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगी। स्वीकृत तकमीने के अतिरिक्त अन्य कोई भी भुगतान देय नहीं होगा।

11- कार्यकारी एजेन्सी उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरांत यह रिपोर्ट भुगतान से पूर्व अवश्य भिजवाये कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।

12- प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाई जावे। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

13- क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों के रेस्टोरेशन हेतु आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के दिशा निर्देश पत्रांक 16877134 दिनांक 30.07.2025 एवं विभाग के पत्रांकः एफ 8(26)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2025/राजकाज 17843308 दिनांक 18.09.2025 से जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 62/2025–26 में वर्णित शर्तो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(डॉ.प्रदीप के गांवडे)
जिला कलेक्टर, जालोर

क्रमांकः/सम/25/3711-3733

दिनांकः– 06.10.2025

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1- संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान,जयपुर।
2- वित्तीय सलाहकार, आ.प्र.सहा.एवं ना.सु.वि. जयपुर को बजट आवंटन किये जाने बाबत्।
3- जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर।
4- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जालोर।
5- अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रशासन, जालोर।
6- कोषाधिकारी, जालोर।
7- उपखण्ड अधिकारी, ... (समस्त)
8- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा, जालोर।
9- जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जालोर।
10- अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जालोर।
11- अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड जालोर।
12- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर।
13- निजी सहायक, जिला कलेक्टर, जालोर।
14- ....

जिला कलेक्टर,
जालोर